

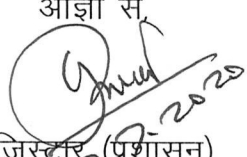
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

निविदा सूचना

क्रमांक: एचसी/एसके/2020-21/136

दिनांक : 03.07.2020

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय के उपयोगार्थ 3 नग HP-ELITE DRAGONFLY LAPTOP की खरीद हेतु दरों के सम्बन्ध में मोहर बंद निविदाएँ दिनांक 13.07.2020 दोहपर 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें <http://www.hcraj.nic.in> एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> की वेबसाइट पर देखी जा सकेगी। (अनुमानित मूल्य रुपये 6,00,000/—)

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

Phone No. 0291-2888500-04, 2888385 (Store) Fax No. 0291-2888080, Pin Code – 342013, Email – hc-rj@nic.in

(HP-ELITE DRAGONFLY LAPTOP खरीद हेतु निविदा प्रपत्र)

(निविदा का अनुमानित मूल्य रुपये 6,00,000 / –)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली :
फर्म का नाम, पता व
दुरभाष नम्बर
2. निविदा प्रपत्र शुल्क (रुपये 200 / –):जरिये GRR No/DD No. _____ दिनांक _____ जमा करवाई गई, रसीद संलग्न है ।
3. निविदा में वर्णित अनुसार हमारी फर्म द्वारा आपके कार्यालय द्वारा की गई निविदा सूचना क्रमांक एचसी/एसके/2020–21/136 दिनांक 03.07.2020 के तहत HP-ELITE DRAGONFLY Laptops सप्लाई हेतु निम्नानुसार दरें प्रस्तुत की जा रही है –

Particular		Brand/ Model No.	@ Rs. Price (incl. all taxes) with fitting Charge
PRODUCT NAME HP-ELITE DRAGONFLY			
PROCESSOR	8th Generation Intel® Core™ i7-8565U with Intel® UHD graphics 620		
RAM	16 GB DDR4		
HDD	SSD 1TB PCIe NVMe TLC		
WINDOW	Windows 10 Pro 64		
DISPLAY	LCD 33.78 CM (13.3) FHD Sureview		
WIRELESS	Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi 6® and Bluetooth® 4.2 Combo, non-vPro™		
PORTS	2 Thunderbolt™ (USB Type-C™ connector); 1 USB 3.1 Gen 1 (charging); 1 headphone/microphone combo; 1 HDMI 1.4; 1 External Nano SIM slot for WWAN		
MEDIA	Bang & Olufsen, 4 Premium stereo speakers, integrated multi array microphone, 1080p FHD IR web camera for facial authentication		
KEYBOARD	HP Premium Collaboration Keyboard, full-size, spill-resistant, backlit and DuraKeys		
WEIGHT	Starting at 1.25 kg		
BATTERY	4 Cell, Low halogen; TCO 5.0 Certified HP fast charge to recharge upto 50% in 30 minute		
OTHER SPEC	Ultrabright 1000nits touch diagonal display, with active pen, with beg		
WARRANTY	3 Year Onsite warranty		
Accessories	Laptop bag has to be supplied with this laptop		

4. हमारी फर्म आपके कार्यालय द्वारा दिये गये सप्लाई आदेश में वर्णित अनुसार एवं निश्चित तिथि तक माल सप्लाई किये जाने हेतु बाध्य रहेगी। साथ ही आपके कार्यालय द्वारा स्वीकृत क्वालिटी एवं मापदण्ड की सामग्री की ही सप्लाई किये जाने हेतु बाध्य रहेगी।
5. हमारी फर्म द्वारा अमानत राशि (निविदा के अनुमानित मूल्य की 2 प्रतिशत राशि) रूपयें _____ जरिये Banker's Cheque/ DD No./ P.R.No _____ तारीख _____ द्वारा जमा कराई गई, मूल प्रति संलग्न है।
6. हमारी फर्म उपरोक्त सामग्री सप्लाई करने के लिये अधिकृत है व बिक्री विभाग में पंजीकृत है। हमारी फर्म के GSTIN No. _____ एवं PAN No. _____ है।
7. हमारी फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र (Anex.-1, 2, 3 & 4) एवं अन्य वांछित दस्तावेज हस्ताक्षर मय सील कर संलग्न कर दिये गये हैं।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

नोट : निविदा प्रपत्र पूर्ण रूप से साफ सुथरें अक्षरो में भरकर दिनांक 13.07.2020 को दोपहर 03.00 बजे तक कार्यालय में पहुँच जाना चाहियें।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें ::

A. निविदा जारी करने वाले का नाम एवं निविदा का विवरण

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (राज०), फोन: 2888500-504, फैक्स: 0291-2888080, ईमेल – hc-rj@nic.in
2. निविदा सूचना राज्य सरकार के नियमों के अनुसार समाचार पत्रों में जारी करने के साथ विभाग की अधिकृत वेबसाइट <http://hcraj.nic.in> एवं राज्य सरकार की वेबसाइट <https://sppp.rajasthan.gov.in> पर भी प्रकाशित की जायेगी।
3. निविदा प्रपत्र मय नियम एवं शर्तें दिनांक 04.07.2020 से दिनांक 13.07.2020 दोहपहर 1.00 बजे तक निर्धारित शुल्क देकर मुख्य रोकड़पाल से खरीद किया जा सकेगा अथवा निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड किये जाने पर निविदा शुल्क हेतु रुपये 200/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पक्ष में बनवाकर निविदा प्रपत्र के संलग्न प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
4. निविदाएँ दिनांक 13.07.2020 को दोपहर 03.00 बजे तक कार्यालय में जमा करवाया जा सकेगा। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन दिनांक 13.07.2020 को सायं 04.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी।
5. निविदादाता से अपेक्षित है कि निविदा प्रपत्र जमा करवाने से पूर्व सम्पूर्ण निविदा का भली-भांति अध्ययन कर ले। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु निविदा सूचना की अंतिम तिथी से पूर्व तक कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है। तथापि विभाग किसी प्रकार के लिखित स्पष्टीकरण हेतु बाध्य नहीं है। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ अथवा उससे पूर्व निविदा शुल्क एवं बयाना राशि विहित रूप में जमा करानी अनिवार्य है जिसके बिना निविदा निरस्त समझी जायेगी।
7. निविदादाता द्वारा निविदा निर्धारित प्रारूप मय अनुलग्नकों के तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर व मोहर लगाकर सभी दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में कार्यालय में दिनांक 13.07.2020 को दोपहर 03.00 बजे तक जमा कराना अनिवार्य है। जिसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. विभाग को किसी भी स्तर पर निविदा को, पूर्णतः (Completely) अथवा अंशतः (Partly), स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत/निरस्त निविदाओं के निविदादाताओं से कोई विचार-विमर्श नहीं किया जायेगा।

B. पात्रता के मानदंड (Eligibility Criteria)

1. निविदा फर्म के निदेशकों/प्रोपराइटरों/साझेदारों/ मालिक/कम्पनी सचिव के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भरी जाने की अवस्था में उस व्यक्ति का निविदा भरने हेतु फर्म के निदेशकों/प्रोपराइटरों/साझेदारों/ मालिक/कम्पनी सचिव के द्वारा अधिकृत किये जाने वाले दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जो फर्म के निदेशकों/प्रोपराइटरों/साझेदारों/ मालिक/कम्पनी सचिव के द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।
2. पंजीकरण:—
 - (a) निविदादाता एकल फर्म, सॉल प्रॉपराइटरशिप फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी अधिनियम 1956 एवं 2013 के तहत पंजीकृत कम्पनी एवं एल.एल.पी. हो सकती हैं।
 - (b) निविदादाता का, जो भी विधिक अस्तित्व (legal entity) हो उसके अनुसार उसका पंजीकरण तत्समय प्रवृत्त विधि में होना चाहिए। पंजीकरण का प्रमाण पत्र निविदा के साथ लगाना होगा।
नोट:— (किसी भी पंजीकरण के लागू नहीं होने की दशा में निविदादाता को स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र लैटर हैड पर अनिवार्य रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा)
 - (c) पंजीकरण प्रपत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करनी चाहिये जिसके अभाव में निविदा निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता

मय पता सील मोहर

3. **कार्यानुभव**:- ठेकेदारों/निविदादाताओं को लेपटॉप सप्लाई करने का कम से कम **दो वर्ष का अनुभव** हो। इस संबंध में निविदादाता द्वारा कार्यादेश की प्रति मय संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इसके अभाव में निविदा निरस्त की जा सकती है।
4. **प्रमाण पत्र**:- निविदादाता फर्म उपरोक्त वर्णित आइटम्स की सप्लाई किये जाने हेतु अधिकृत है एवं इस हेतु उत्पादक/अधिकृत/थोक विक्रेता होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करना अति आवश्यक है।
5. **निविदा मूल्य एवं धरोहर राशि (EARNEST MONEY)**: निविदादाताओं को निविदाप्रपत्र के साथ निर्धारित निविदा मूल्य एवं धरोहर राशि (EARNEST MONEY) आवश्यक रूप से जमा करवाया जाना है जिसे बिना निविदा निरस्त समझी जायेगी।
6. **अनुलग्नक** :- निविदादाता निविदा के साथ लगाये गये प्रपत्रों/दस्तावेजों पर हस्ताक्षर मय सील कर दस्तावेजों के सत्य होने को उल्लिखित करेगा साथ ही निविदादाता यह भी प्रमाणित करेगा कि निविदादाता फर्म को केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा Black Listed (Annexure-3) नहीं किया गया है।
7. सभी निविदादाताओं को अपनी फर्म के लेटर हेड पर आवश्यक रूप से उनके द्वारा दी गई दरों के सम्बन्ध में प्रत्येक आइटम्स का ब्राण्ड एवं मॉडल आवश्यक रूप से संलग्न करना है ताकि प्राप्त दरों का तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सकें।

C. लेपटॉप की गुणवत्ता और नमूना

1. किसी भी वस्तु की गुणवत्ता के सम्बन्ध में स्थायी मानक व मापदण्ड नहीं होने की दशा में उसकी सप्लाई कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये गये नमूने अथवा क्रय समिति द्वारा दिये गये मापदण्ड के अनुसार ही होनी चाहियें।
2. निविदा में वर्णित वस्तुओं/सामान के नमूना, वांछित गुणवत्ता इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।

D. अमानत राशि/प्रतिभूति राशि

1. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के अनुरूप 2 प्रतिशत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अमानत राशि हेतु जो कि 'रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर' के नाम से देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
2. सफल निविदादाता को सप्लाई आदेश प्राप्ति के पश्चात 7 दिवस के भीतर Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के नियम 75 के प्रावधानों के अनुसार 5 प्रतिशत राशि नकद/बैंक गारण्टी/डी.डी. प्रतिभूति के रूप में रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में जमा करानी होगी, जिसका पूर्व में जमा 2 प्रतिशत अमानत राशि का समायोजन किया जा सकेगा।
3. यदि कोई निविदा प्रपत्र बिना धरोहर राशि के अथवा निर्धारित अमानत राशि से कम का पाया जाता है तो उसे बिना कारण बताये अस्वीकार किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।
4. सभी असफल निविदादाताओं को उनके द्वारा जमा अमानत राशि निविदा के सफल निस्तारण के पश्चात लौटा दी जायेगी तथा इसके लिये किसी प्रकार ब्याज इत्यादि देय नहीं होगा।

E. दरें/मूल्य

1. निविदा प्रपत्र में दरें भारतीय रुपयों में लिखी होनी चाहिये, वर्णित दरें GST सहित एवं F.O.R स्टोर/फिटिंग सहित/निर्देशानुसार होनी चाहिये।
2. कम से कम एक वर्ष की अवधि तक मान्य होनी चाहिये। निविदादाता दरों में उतार चढ़ाव या किसी भी अन्य कारण से हुये नुकसान के लिये दावा नहीं कर सकेगा।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

3. कार्यालय नियमानुसार निविदा में वर्णित संख्या से कम या अधिक संख्या में सप्लाई आदेश दे सकता है जिसे फर्म सप्लाई करने के लिए बाध्य होगी। इसके लिए निविदादाता किसी भी प्रकार का दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा।

F. प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Security Deposit) :-

निम्नलिखित मामलों में प्रतिभूति राशि को समपहृत कर लिया जाएगा:-

- (a) जब संविदा में किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो,
- (b) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहता हो,
- (c) जमा कराई गई प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने से पूर्व युक्तियुक्त समय देते हुए निविदादाता को नोटिस दिया जाएगा,
- (d) बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप की समपहृत की गयी राशि सम्बंधित विभाग के शीर्ष "अन्य प्राप्ति" में जमा करायी जाएगी तथा अन्तरण प्रविष्टि की व्यवस्था लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
- (e) प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय:- अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के तीन माह पश्चात प्रतिभूति निक्षेप निविदादाता को लौटा दिया जावेगा। जिसके लिये किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

G. जुर्माना

1. सफल निविदादाता द्वारा सप्लाई आदेश पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जायेगा।
2. अधोहस्ताक्षरकर्ता सबसे कम मूल्य वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है साथ ही सप्लाई किये जाने वाले **लेपटॉप के तकनीकी विवरण** का विशेष ध्यान रखा जायेगा। निविदा को अनुबन्ध अवधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण अथवा आंशिक रूप से समाप्त करने की घोषणा कर सकता है।
3. सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पक्ष में सुरक्षित रहेगा तथा वह एक प्रकार की सामग्री के लिये एक से अधिक निविदादाता को सप्लाई आदेश देने के लिये स्वतंत्र होगा।
4. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर उक्त निविदा के सफलता पूर्वक सम्पादन हेतु वर्णित नियम एवं शर्तों में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिये स्वतंत्र होगा।
5. सफल निविदादाता को सप्लाई आदेश प्राप्ति के 7 दिन के भीतर ही लेपटॉप की सप्लाई करनी होगी। सप्लाई किया गया सामान नियमानुसार नहीं पाये जाने पर सप्लाई आदेश निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। संतोषप्रद सप्लाई के पश्चात ही भुगतान देय होगा। दिये गये सप्लाई आदेश के अनुसार लेपटॉप की सप्लाई एक साथ ही करनी होगी। वस्तु/ सामान निर्धारित मापदण्ड/ गुणवत्ता का नहीं होने पर निविदा दाता के हर्जे खर्चे पर पुनः लौटा दिया जायेगा तथा वांछित सामान बाजार से क्रय किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अन्तर राशि सम्बन्धित निविदादाता से वसूल की जायेगी। उक्त कार्य के सम्पादन में यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है, तो इसके लिये कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा न ही कोई जिम्मेवारी होगी।

H. अपात्रता

निविदाएं निम्न कारणों से अपात्र घोषित की जा सकती है :

1. बिना निविदा मूल्य, बयाना राशि के जमा निविदाएं एवं अपूर्ण निविदायें
2. भ्रामक अथवा गलत तथ्य/ दावे प्रस्तुत करने वाली निविदायें।
3. विभाग द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण को न प्रदान कर पाना/तय समय से देरी प्रदान करना।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता

मय पता सील मोहर

4. एक से ज्यादा निविदाएं प्रस्तुत करना। ऐसा होने पर फर्म द्वारा भरी गयी समस्त निविदाएं तकनीकी मूल्यांकन में निरस्त की जा सकेंगी।
5. अपूर्ण व सशर्त निविदा प्रस्तुत करना।
6. तकनीकी अहर्ताओं का पूर्ण न कर पाना।
7. निविदादाताओं अथवा उसके किसी प्रतिनिधि का अवांछित रूप से प्रभाव डालना/डलवाना, विवाद इत्यादि करना, रिश्वत इत्यादि का प्रस्ताव करना अथवा गैर कानूनी रूप से तुष्टीकरण करना।
8. अल्प वैधता वाली निविदा प्रस्तुत करना।

I. निविदा हेतु सामान्य नियम, शर्तें

1. निविदाएँ खोली जाने की दिनांक से 180 दिन तक निविदा की दरें स्वीकृत की जा सकेंगी।
2. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना, एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।
3. सफल निविदादाता को सप्लाई आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर निविदा के अनुमानित मूल्य के 0.25 प्रतिशत राशि के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पर कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध-पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। इसका व्यय सम्बन्धित निविदादाता द्वारा ही वहन किया जायेगा।
4. सफल निविदादाता को सप्लाई आदेश में वर्णित लेपटॉप की सप्लाई इस कार्यालय द्वारा चाहे गये निर्दिष्ट स्थान (चाहे वह भवन का प्रथम तल या अन्य कोई स्थान हो) पर करने की समस्त जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।
5. सफल निविदादाता द्वारा सप्लाई किये गये सामान में किसी भी प्रकार की टूट-फूट, मेन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अथवा उपयोग के योग्य नहीं पाये जाने पर उसे 10 दिवस के भीतर-भीतर बदल कर देना होगा।
6. सफल निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा सप्लाई की गई सामग्री कार्यालय द्वारा स्वीकृत किये नमूने अनुसार ही हो तथा माल डुप्लीकेट/अन्य ब्राण्ड या मेक का होने की स्थिति में वस्तु की खरीद द्वितीय न्यूनतम निविदादाता या स्थानीय बाजार से क्रय कर अन्तर की राशि सफल निविदादाता से वसूल किया जायेगा।
7. भुगतान हेतु विपत्र तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा तथा भुगतान की कार्यवाही सप्लाई के भौतिक रूप से सत्यापित हो जाने के पश्चात ही किया जायेगा।
8. विपत्रों का भुगतान केवल ECS के माध्यम से किया जायेगा तथा इस हेतु निविदादाता को वांछित सूचना जैसे – PAN No., GSTIN No, Bank A/C No., Name of Bank, Branch, IFSC Code, MICR Code, etc. उपलब्ध करवानी होगी। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना कम अथवा गलत पाये जाने पर होने वाली देरी अथवा नुकसान की जिम्मेवारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
9. कार्यालय निविदाप्रपत्र में भर गये सभी तथ्यों एवं उसके संलग्न दस्तावेजों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की त्रुटि/जालसाजी पाये जाने पर उसे निविदा अनुबन्ध का उल्लंघन मानते हुये आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा।
10. लेवी, कर, पैकिंग, अग्रेषण, भाड़ा, बीमा, लदान और उतराई, प्रवेश कर, डेमो इत्यादि सभी प्रकार के शुल्क निविदादाता द्वारा ही वहन किया जायेगा। कार्यालय द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित दरों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. सामग्री सप्लाई आदेश में वर्णित समय अवधि (कार्यालय द्वारा निर्धारित समय) के भीतर ही करनी होगी। विलम्ब से सप्लाई पर निम्नानुसार शास्ति लगाई जायेगी—

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

Condition	LD %*
Delay up to one fourth period of the prescribed period of supply	2.50%
Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed period of supply	5.00%
Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed period of supply	7.50%
Delay exceeding three fourth of the prescribed period of supply	10.00%

12. उक्त निविदा में सफल निविदादाता अपने कार्य को स्वयं के स्तर पर ही सम्पादित करेगा स्वीकृत कार्य को किसी अन्य एजेन्सी या फर्म के माध्यम से नहीं करवायेगा अर्थात् सबलेट नहीं करेगा।
13. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के **General Financial and Accounts Rules व Transparency in Public Procurement Act, 2013 & Rules, 2013** के प्रावधान भी लागू होंगे।
14. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी ।

मैंने/हमने उक्त वर्णित नियमों एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा मैं/हम उक्त नियम और शर्तों से पूर्णतया सहमत है। इस सम्बन्ध में भविष्य में किसी भी प्रकार के होने वाले विवाद के लिये मैं/हम स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

Annexure-A
Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any Information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in an bidding process if, including but not limited to;

- (a) have controlling partners/shareholders in common; or
- (b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- (c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- (e) the bidder participates in more than one Bid in the bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- (f) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर
Continue Page08

Annexure-B
Declaration by The Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bid No. Dated..... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;
3. I/We are not insolvent in receivership , bankrupt or being wound up, nor have my/our affairs administered by a court or a judicial officer. My/our business activities have not been suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, neither have our directors and officers, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, I/we have not been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place :

Signature of Bidder
Name:
Designation:
Address:

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

Annexure-C
Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the Appellate Authority

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para(1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para(2), or if the Bidder or prospective bidder of the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be.

(4) Appeal not to lien in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para(1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any. Affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for Filing Appeal

- (a) Fee for filing appeal shall be rupees two thousand five hundred, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of a bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर
Continue Page10

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public
Procurement Act, 2012**

Appeal No of
Before.....(Appellate Authority)

1 Particulars of appellant:

- (i) Name and father's name of the appellant :.....
(ii) Official address :.....
.....
(iii) Residential address :.....
.....

2. Name and address of the respondent(s)

- (i)
(ii)
(iii)

2. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who
passed the order, or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to
the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved

.....

3. If the Appellant proposes to be represented by :.....
a representative the name and postal address
of the representative.

5. Number of affidavits and documents enclose with the appeal:

6. Grounds of appeal:-

.....
.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer
.....

Place

Date

Appellant's Signature

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर
Continue Page11

Annexure-D
Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetic errors.-**

Provided that Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis, namely: -

- (a) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- (b) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (c) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to vary Quantities.-**

- (a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (b) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not more than 50% of the value of Goods of the original **contract in current financial year 2017-18 on same terms and conditions**. If the suppliers fail to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one bidder at the time of award.-**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the Bidders, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर
Continue Page12

ANNEXURE – 1 EXPERIENCE DETAILS
(Work order/Work completion Certificate for similar work)

NIT No. HC/SK/2020-21/136 dated 03-07-2020

Ref: Tender for procurement of HP-ELITE DRAGONFLY LAPTOP

कार्य के अनुभव का विवरण

[illegible]

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

ANNEXURE-2 RTGS DETAILS OF FIRM (ON FIRM LETTER HEAD)
(Must be filled)

Dear sir,

We hereby confirm that we are willing to opt for payment to be received through RTGS/ NEFT. The bank details duly confirm by bank, for receipt of payment against material supply/services, miscellaneous dues.

Bank Details

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1) | Account No. | : |
| 2) | Type of Account | : |
| 3) | Bank Name | : |
| 4) | Branch Name & Address | : |
| 5) | Contact No. of the Branch | : |
| 6) | IFSC No. | : |
| 7) | PAN No. | : |

Communication Details

- | | | |
|----|-----------|---|
| 1) | e-mail ID | : |
| 2) | Cell No. | : |

We authorize you to deduct necessary bank charges of NEFT/RTGS.

We have forwarded a soft copy of the above details to hc-rj@nic.in on date –

Yours faithfully,

(Signature & Name of auth. sign. with company/firm stamping)

Bank Confirmation

Certified that the furnished above bank details are correct as per our records.

Bank's Stamp

Authorized Signatory _____ Date _____

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

ANNEXURE-3

घोषणा-पत्र

(फर्म द्वारा स्वयं के लेटर हेड पर घोषणा पत्र)

मेरे/ हमारे द्वारा घोषणा की जाती है कि कार्यालय निविदा क्रमांक एचसी/एसके/2020-21/136 दिनांक 03.07.2020 का निविदा प्रपत्र तथा इसके सलग्न समस्त प्रपत्रों, जानकारी एवं शर्तों को मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि निविदा के सम्बन्ध में श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का निर्णय हमारे लिये अन्तिम एवं मान्य होगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म द्वारा निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा निविदा में वर्णित सामग्री का हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। उक्त कार्य से सम्बन्धित हमारे यहाँ अनुभवी एवं तकनीकी कर्मचारी भी उपलब्ध है। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संस्थान/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीकस्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील कर दिये हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति (Security Deposit) को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

दिनांक:
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

Continue Page15

ANNEXURE - 4 इकरार नामा

यह इकरारनामा मैसर्स(फर्म का नाम)(प्रथम पक्ष) जिन्हें बाद में आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता कहा गया है तथा इसमें इनके वैद्य उत्तराधिकारी तथा प्रतिनिधि शामिल है

बहक

रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (द्वितीय पक्ष) के मध्य किया जाता है।

सामग्री प्रदाय एवं अनुबन्ध की शर्तें :

(i) आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता (प्रथम पक्ष) द्वितीय पक्ष रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निम्न कार्यादेश एवं निविदा की अनुपालना में निर्देशानुसार सप्लाई एवं स्थापन का कार्य करेगा—

(a) निविदा क्रमांक एचसी/एसके/2020-21/ दिनांक .07.2020

(b) कार्यादेश क्रमांक एचसी/एसके/2020-21/ दिनांक . .2020

(ii) यदि प्रथम पक्षकार फर्म (आपूर्तिकर्ता) को कार्यादेश क्रमांक एचसी/एसके/2020-21/ दिनांक . .2020 में वर्णित सामग्री के सम्बन्ध में द्वितीय पक्षकार से कोई अतिरिक्त क्रयादेश (Repeat Order) प्राप्त होता है तो प्रथम पक्षकार फर्म (आपूर्तिकर्ता) क्रयादेश में वर्णित सामग्री को निर्दिष्ट मात्रा में स्वीकृत दर पर निर्धारित समय पर निर्देशित स्थान पर सप्लाई करने के लिये बाध्य रहेगी।

(iii) आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता (प्रथम पक्ष) फर्म द्वारा उक्त आदेश की अनुपालना में प्रतिभूति राशि (Security Deposit) इस कार्यालय में जमा करवाई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है—

(iv) आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता (प्रथम पक्ष) फर्म निम्नलिखित स्वीकृत दरों पर, निविदा एवं अनुबन्ध में वर्णित शर्तों पर सप्लाई एवं स्थापन का कार्य करेगा —

S. No	Brand/ Model No.	@ Rs. Price (incl. all taxes) with fitting Charge
1		

(v) किसी कारणवश प्रथम पक्षकार फर्म (आपूर्तिकर्ता) द्वारा आपूर्ति किये गये माल का भुगतान डीडी/ बैंकर्स चैक से किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बैंक चार्जज पक्षकार फर्म के भुगतान से काट कर दिया जावेगा।

(vi) निविदा सूचना क्रमांक: एचसी/एसके/2020-21/ दिनांक .07.2020 में दी गई सभी शर्तें प्रथम पक्षकार फर्म (आपूर्तिकर्ता) को पूर्ण रूप से मान्य होगी।

(vii) प्रथम पक्षकार फर्म (आपूर्तिकर्ता) द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री निविदा के साथ प्रस्तुत नमूने के अनुसार होगी। यदि आपूर्तिकर्ता ने माल के संबंध में कोई (SPECIFICATION) विवरण अंकित किया है तो उसके अनुसार होगी। यदि ब्राण्डेड है तो उस ब्राण्ड के अनुसार होगी अर्थात् आपूर्तिकर्ता ने सामान की गुणवत्ता व मात्रा के जो मापदण्ड निविदा प्रपत्र में अथवा कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया है उसकी गुणवत्ता उसी के अनुसार होनी आवश्यक है।

- (viii) विभागीय क्रय समिति अथवा उसका कोई सदस्य आपूर्ति किये गये माल की कभी भी गुणवत्तता की जाँच कर सकता है। यदि जाँच में गुणवत्ता अथवा मात्रा में किसी भी प्रकार की कमी पायी गयी तो सम्पूर्ण सामान का उसी प्रकार आंकलन कर सम्पूर्ण/आंशिक आपूर्ति को निरस्त किया जा सकेगा अथवा तदनुसार भुगतान योग्य राशि में कटौती की जा सकेगी, जिसके लिए कहीं कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
- (ix) यदि आपूर्तिकर्ता आपूर्ति के लिए निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की वृद्धि करना चाहता है तो रजिस्ट्रार जनरल को लिखित में प्रार्थना करनी होगी तथा रजिस्ट्रार जनरल का निर्णय सामान की आवश्यकता को देखते हुए अंतिम एवं मान्य होगी।
- (x) यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा सामान की आपूर्ति विलम्ब से की जाती है तो निम्नानुसार परिनिर्धारित नुकसानी (LD) की वसूली की जावेगी—
- (A) विलम्ब की अवधि दी गयी समयावधि के एक चौथाई से अनाधिक होने पर सामग्री के कुल मूल्य का 2.5 प्रतिशत
 - (B) विलम्ब की अवधि दी गयी समयावधि के आधे से अनाधिक होने पर सामग्री के कुल मूल्य का 5 प्रतिशत
 - (C) विलम्ब की अवधि दी गयी समयावधि के तीन चौथाई तक होने पर सामग्री के कुल मूल्य का 7.5 प्रतिशत
 - (D) विलम्ब की अवधि दी गयी समयावधि के तीन चौथाई से अनाधिक होने पर सामग्री के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत
- (xi) यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में माल की आपूर्ति नहीं की जाती है और यदि ऐसे में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी अन्य फर्म से सामान मंगवाने का निर्णय किया जाता है तो अनुमोदित दर एवं भुगतान की गयी राशि के अंतर की राशि आपूर्तिकर्ता से वसूल की जावेगी।
- (xii) यदि माल की आपूर्ति या शर्तों में अथवा उसके निर्वचन में कोई विवाद हो तो रजिस्ट्रार (प्रशासन) का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

यह इकरारनामा दोनो पक्षों के मध्य दिनांक _____ को निम्नलिखित गवाहों एवं साक्षियों की उपस्थिति में निष्पादित किया जाता है। एक सत्य प्रतिलिपि आपूर्तिकर्ता को दे दी गई है।

हस्ताक्षर आपूर्तिकर्ता

हस्ताक्षर
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

गवाह :—